



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042023-244923
CG-DL-E-03042023-244923

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]
No. 206]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 3, 2023/चैत्र 13, 1945
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 3, 2023/CHAITRA 13, 1945

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 266(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 की अनुसूची 2 में मद (6ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“6ग राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में पुलिस उप-अधीक्षक (स्तर-10) और अपर पुलिस अधीक्षक (स्तर-11) के पद पर दो वर्षों की अवधि के लिए, प्रतिनियुक्ति के अधार पर नियुक्ति”।

[सं. 39018/01/2023-स्था.(बी)]

मनोज कुमार द्विवेदी, अपर सचिव

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 789, तारीख 13 सितंबर, 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 92(अ), तारीख 13 फरवरी, 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2023

G.S.R 266(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) of article 320 of the Constitution, the President hereby makes the following regulations further to amend the Union Public Service Commission(Exemption from Consultation) Regulations, 1958, namely:-

1. **Short title and commencement:-** (1) These regulations may be called the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Second Amendment Regulations, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, in Schedule II, after item 6B and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-
“6C. Appointment on deputation basis to the post of Deputy Superintendent of Police (Level-10) and Additional Superintendent of Police (Level-11) in National Investigation Agency, for a period of two years”.

[No. 39018/01/2023-Estt.(B)]

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Addl. Secy.

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 789, dated the 13th September, 1958 and last amended, *vide* notification number G.S.R. 92(E), dated the 13th February, 2023.